न्यायालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 32 / 2021
GCMS Case Reg. 2021/53

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

1. श्री सोहनलाल पिता उंकार, जाति दमामी थोरी निवासी ग्राम बारी पटवार मण्डल बारी तहसील छोटीसरवन जिला बॉसवाडा (राज.)
2. श्रीमती किरपा पत्नी श्री सोहन जाति दमामी थोरी निवासी ग्राम बारी पटवार मण्डल बारी तहसील छोटीसरवन जिला बॉसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्सः–

1. भूमिधारी, तहसीलदार तहसील छोटी सरवन जिला बॉसवाडा
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

उपस्थितः 1– श्री नानालाल चरपोटा, – अधिवक्ता, प्रार्थी पक्ष

2– तहसीलदार तहसील छोटी सरवन जिला बॉसवाडा

3– सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

निर्णय

दिनांक :– 05.05.2022

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, आवेदक की कृषि भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाडा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट 4 गुणा 700 मेगावाट परियोजना निर्माण हेतु न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा अवाप्त की गयी और मूल अवार्ड दिनांक 21.08.2015 के निर्णय में आर. एण्ड आर. बना जिसमें प्रार्थीगण के पुत्र प्राकृतिक श्री लड्डु उर्फ लड्डूराम का नाम दर्ज था परन्तु बाद में न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाडा के पुनः संशोधित अवार्ड दिनांक 18.02.2016 से आदेश के पृष्ठ संख्या ... क्रम संख्या 08 पर आर. एण्ड आर. सिरीयल नंबर 93 में प्रार्थीगण के पुत्र ... को नाबालिग बतला कर ... अवार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 16:21:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

लाभ से वंचित व मुक्त करने का आदेश दिया गया है, जबकि पुर्व में अधिनस्थ अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन अवार्ड का भुगतान पत्र आवेदक व उसके आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम से जारी किया था। इस प्रकार उपरोक्त आदेश दिनांक 18.02.2016 व 17.12.2020 से क्षुब्ध, व्यक्षित व अप्रसन्न होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र को 64, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित किया कि रा.उ.प्रा.वि. बारी के छात्र रजिस्टर की प्रति के अनुसार रजिस्टर संख्या 749/347 में छात्र श्री लड्डु दमामी पुत्र सोहनलाल दमामी जाति भील की जन्म दिनांक 11.06.96 का अंकन किया हुआ है। मुताबिक छात्र पंजिका लड्डु दमामी पुत्र सोहनलाल दमामी जाति भील वर्ष 08/2015 में बालिक पाया गया है।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से दिनांक 13.12.2021 को प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया है कि वक्त अवार्ड लड्डू उर्फ लड्डूराम का नाम ग्राम बारी के आर. एण्ड आर. सं. 95 में सम्मिलित था, परन्तु पुनः संशोधित अवार्ड में आर. एण्ड आर. सं. 93 में उम्र 17 वर्ष अकिंत होकर नाबालिग दर्ज है।

दिनांक 29.04.2022 को अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम पर कथन किया कि आवेदकगण अपनी कृषि भूमि अवाप्त हो जाने से परिवार सहित मजदुरी हेतु गुजरात चले गये थे। वापस गॉव पहुचने पर दिनांक 11.08.2021 को पटवारी हल्का बारी से पता चला कि उनके पुत्र का नाम नाबालिग होने से हटा दिया गया है। जिस पर दिनांक 12.08.2021 को प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible] गई। अतः देरी को क्षम्य करने एवं धारा 5 म्याद अधिनियम का [illegible] प्रार्थीगणी को [illegible] जाने निवेदन किया। बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर [illegible] निस्तारण गुणावगुण के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 15:21:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

होना चाहिये। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

दिनांक 21.03.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पुत्र श्री लड्डु (लड्डुराम दमामी) का नाम पूर्व में विधिक जॉच एवं कार्यवाही प्रक्रिया के पश्चात् एवार्ड में सम्मिलित किया जाना था परन्तु बाद में अवार्ड संशोधन आदेश दिनांक 18.02.2016 मे नाबालिग बतला कर मुआवजा राशि के लाभ से वंचित करना विधि सम्मत नही है। आवेदक के पुत्र श्री लड्डू (लड्डुराम दमामी) ने उसके जीवनकाल तक उसके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अपने अधिकारो को नही छोडा था और अब प्रार्थीगण बहैसियत वारीसान के अवार्ड व उसकी राशि प्राप्त करने के कानूनी हकदार है।

रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से दिनांक 12.04.2022 को बहस प्रस्तुत की गई तथा दिनांक 29.04.2022 को पुनः बहस प्रस्तुत की गई जिसमें कथन किया कि उर्जा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर अधिसूचना दिनांक जून 7, 2012 की अधिसूचना प्रकाशित दिनांक सितम्बर 3, 2012 भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 की तिथी को प्रार्थीगण का पुत्र श्री लड्डू (लड्डुराम दमामी) नाबालिग था। जिसके कारण आर एण्ड आर निरस्त किया गया है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। रा.उ.प्रा.वि. बारी के छात्र रजिस्टर की प्रति के अनुसार रजिस्टर संख्या 749/347 में छात्र श्री लड्डु दमामी पुत्र सोहनलाल दमामी जाति भील की जन्म दिनांक 11.06.96 का अंकन किया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेंर की माध्यमिक परिक्षा 2012 की अंक तालिका की प्रति पर श्री लड्डू दमामी पुत्र सोहनलाल दमामी की जन्म दिनांक 11.06.1996 अंकित है। उर्जा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर अधिसूचना दिनांक जून 7, 2012 की अधिसूचना प्रकाशित दिनांक सितम्बर 3, 2012 भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 प्रथम प्रकाशन की तिथी को श्री लड्डू (लड्डुराम दमामी) पुत्र सोहन लाल दमामी की उम्र 16 वर्ष 3 [illegible] होकर नाबालिग था। ऐसी स्थिति में आर. एण्ड आर. हेतु पात्र नही पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 16:21:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अतः भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.) द्वारा जारी पुनः संशोधित अवार्ड दिनांक 18.02.2016 की पृष्ठ सं. 29 में ग्राम बारी के क्रम सं. 8 पर दर्ज लड्डु (लड्डुराम दमामी) पिता सोहन को नाबालिग मानकर दिया गया निर्णय विधि सम्मत है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64 भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 15:21:41 IST
Reason: SelfAttested